झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0 पी0 (पी0आई0एल0) सं0–360 वर्ष 2017

न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची के माध्यम से झारखण्ड राज्य।

2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राज्य, रांची।

3. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, रांची।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ..... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री ए0के0 कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता (अधिवक्ता संघ झारखण्ड उच्च न्यायालय के अध्यक्ष), अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 एवं 2 के लिए :– श्री आर0आर0 मिश्रा, जी0पी0–II

उत्तरदाता सं0 3 के लिए :– श्री राजीव रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री एस0 गौतम, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 4 के लिए :– श्री अनिल कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं

श्रीमती स्वीटी टोपनो, अधिवक्ता

14 / 05.05.2017 पार्टियों को सुना।

उप–निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा आज न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया है।

इसे रिकॉर्ड के साथ नत्थी किया जाए।

श्री आर0आर0 मिश्रा, प्रतिवादी सं0 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार मृतक के परिवार के सदस्य को दिनांक 04.05.2017 को 5,00,000 / – रूपये की राशि दी गई है।

याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह सच है कि मृतक के परिवार के सदस्यों ने राज्य द्वारा दिया गया अंतरिम मुआवजा को स्वीकार कर लिया है।

अपने शपथपत्र में उत्तरदाता संख्या 2 ने विशेष रूप से कहा है कि ए 04 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस खरीदने के लिए एक निविदा जारी की गई है और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उन्होनें कहा कि पहले के अवसर पर, किसी ने भी पहले की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था।

चूंकि, वर्तमान जनहित याचिका केवल राज्य सरकार द्वारा किए गए नुकसान तक ही सीमित है, राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दायर

दस्तावेजो एवं शपथपत्र के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय रिट याचिका (पी0आई0एल0) का निपटारा बिना मामले को आगे खींचे, निम्नलिखित निर्देश देकर करना उचित समझता है :–

(i) सभी सुविधाओं के साथ 04 ए0एल0एस0 एम्बुलेंसों को 15 जुलाई, 2017 को या उससे पहले राजमार्ग पर तैनात की जानी चाहिए।

(ii) चूंकि राज्य सरकार स्वीकार करती है कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गलती/लापरवाही की गई है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसलिए यह न्यायालय मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले नुकसान का आकलन 10,00,000/– रूपया करता है। उक्त राशि में से, 5,00,000/– रू0 का भुगतान पहले ही अंतरिम मुआवजे के रूप में किया जा चुका है, बाकी 5,00,000/– रू0 इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गो में और मोबाइल स्वास्थ्य इकाई चार महीने के भीतर उपलब्ध कराने के संबंध में झारखण्ड में सभी कदम उठाएगी।

(iv) प्रत्येक महीने, प्रत्येक संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस की जांच करेगा और उनकी स्थिति के संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट देंगे।

इस ालय द्वारा पारित आदेश का कोई भी उल्लंघन अवमानना होगा और इस संबंध में कोई भी नागरिक इस न्यायालय के समक्ष अवमानना आवेदन दायर कर सकता है।

तद्नुसार, इस रिट याचिका (पी0आई0एल0) का निपटान किया जाता है।

इस आदेश की एक मुफ्त प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, पुलिस महानिदेशक, सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची की उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(प्रदीप कुमार मोहंती, मु0 न्याया0)

(आनंदा सेन, न्याया0)